कार्यालय ज्ञाप

पीसीडीएफ मुख्यालय से पूर्व में निर्गत किए गये कार्यालय ज्ञाप संख्या 418/डी–2/पीसीडीएफ/गा0ला0 (82)/2019–20 दिनांक 29.05.2019 के बिन्दु संख्या 7 एवं 8 अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन एवं स्थानीय तरल दुग्ध विपणन पर यातायात व्यय के सम्बन्ध में वीडियों कान्फ्रेसिंग/समीक्षा बैठक दिनांक 11.07.2019 में हुए विचार विनिमय के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन किया जाता है (कार्यालय ज्ञाप संख्या 418/डी–2/पीसीडीएफ/गा0ला0(82)/2019–20 दिनांक 29.05.2019 के शेष निर्देश/मानक यथावत रहेगें), जिसका शत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दुग्ध संघों को निम्न व्ययों के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर कार्य प्रणाली में लाने की आवश्यकता है –

बिन्दु सं0(7) दुग्ध उपार्जन पर यातायात व्यय–

दुग्ध उपार्जन हेतु किराये के वाहनों की व्यवस्था ई–टेण्डर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा की जायेगी। स्थानीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा ई–टेण्डर आदि आंमत्रित कर समस्त औपचारिकताऍ पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात दुग्ध संघ एक वर्ष के कार्य हेतु सम्बन्धित पार्टियों से अनुबन्ध करेगें। अनुबन्ध समाप्ति के पूर्व ही आगामी वर्ष के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। स्थानीय स्तर पर परिवहन व्यय को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से दुग्ध मार्गों का निर्धारण इस प्रकार किया जाये, जिससे कि वाहनों की संख्या में समुचित कमी लायी जा सके। दुग्ध मार्गों का त्रैमासिक आधार पर प्रातः एवं सायं की लम्बाई प्रमाणित कराते हुए कार्यालय में रिकार्ड रखे जायेंगे। बड़े वाहनों के स्थान पर छोटे वाहन लगाये जाने पर भी विचार किया जाये एवं दुग्ध संघ स्तर पर दुग्ध मार्गों का रेशनलाइजेशन करते हुए वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार न्यूनतम ही रखी जाए।

–वर्तमान में दुग्ध संघो को बीएमसी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इनकी स्थापना इस प्रकार की जाए कि दुग्ध मार्गों पर दुग्ध वाहन न लगाना पड़े । बीएमसी से दूध उठाने हेतु दुग्ध टैंकरी का उपयोग हो जिससे यातायात व्यय में कमी आयेगी।

–दुग्ध मार्गो की लम्बाई को प्रमाणित करने हेतु वीटीएस व्यवस्था प्रभावी की जा रही है उससे प्रतिदिन प्रातः व सांय वाहन द्वारा चली गयी दूरी प्रमाणित की जा सकती है। अस्तु समस्त दुग्ध वाहनों पर वीटीएस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

दुग्ध उपार्जन पर प्रत्येक वर्ष ई–टेण्डर प्रकिया अपनाते हुए वाहनों को अनुबन्धित कराया जाए तथा दुग्ध उपार्जन व्ययों में कमी लाने के उद्देश्य से अधिकतम यातायात व्यय प्रति किग्रा0 मानक निम्नवत् निर्धारित किए जाते हैं–

S.No	Transport Cost (Rs./kg.)	Lean	Mean	Flush	AV
1	Central/Eastern Region	2.21	1.45	0.97	1.38
2	Western Region	2.01	1.33	0.88	1.26

Tanker Cap.	Transport Cost (Rs./kg.)
6000 L	0.61
3000 L	0.81

दुग्ध परिवहन व्यय के प्रस्तावित मानकों के साथ साथ यह भी देखा जाए कि गत वर्ष की दुग्ध परिवहन दरों के सापेक्ष इस वर्ष दुग्ध परिवहन दरों में किसी भी दशा में वृद्धि न हो अन्यथा उक्त की जॉच कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

बिन्दु सं0(8) स्थानीय तरल दुग्ध विपणन पर यातायात व्यय–

स्थानीय तरल दुग्ध विपणन पर यातायात व्यय यथा संभव प्रति वर्ष ई–टेण्डर प्रकिया का पालन तथा वाहनों की क्षमता का पूर्ण दोहन करते हुए किसी भी दशा में विगत वर्ष से अधिक न हो, उस प्रतिबन्ध के साथ निम्न अधिकतम सीमा तक निर्धारित किये जाते हैं:–

क0 सं0	मानक	यातायात व्यय (प्रति लीटर)
1	5,000 लीटर से कम औसत प्रतिदिन बिक्री की अवस्था में	1.20 प्रति लीटर
2	5,000 लीटर से 20,000 लीटर तक औसत प्रतिदिन बिक्री की अवस्था में	1.00 प्रति लीटर
3	20,000 लीटर या इससे अधिक औसत प्रतिदिन बिक्री की अवस्था में	0.80 प्रति लीटर
4	डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से बिक्री की अवस्था में	2.50 प्रति लीटर

दुग्ध विपणन हेतु किराये के वाहनों/डिस्ट्रीब्यूटर की व्यवस्था ई–टेण्डर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा की जायेगी। स्थानीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा ई–टेण्डर आदि आमंत्रित कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात् दुग्ध संघ एक वर्ष के कार्य हेतु सम्बन्धित पार्टियों से एक वर्ष का अनुबन्ध करेंगे। अनुबन्ध समाप्ति के पूर्व ही आगामी वर्ष के लिये कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। स्थानीय स्तर पर परिवहन व्यय को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से दुग्ध मार्गों का निर्धारण इस प्रकार किया जाये, जिससे कि वाहनों की संख्या में समुचित कमी लायी जा सके। दुग्ध मार्गों का त्रैमासिक आधार पर प्रातः एवं सायं की लम्बाई प्रमाणित कराते हुए कार्यालय में रिकार्ड रखे जायेंगे। बड़े वाहनों के स्थान पर छोटे वाहन लगाये जाने पर भी विचार किया जाये एवं दुग्ध संघ स्तर पर दुग्ध मार्गों का रेशनलाइजेशन करते हुए वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार न्यूनतम ही रखी जाए।

उपरोक्त सन्दर्भित संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0,
29– पार्क रोड, लखनऊ

पत्रांकः 851/डी–2/पीसीडीएफ/एमएसडी/ए/गाइड लाइन(82)/2019–20 दिनांकः 27.07.2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभारी, समस्त पी0सी0डी0एफ0 इकाइयाँ, उ0प्र0।
2. प्रभारी समस्त दुग्ध संघ, उ0प्र0।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी, पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0।
5. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वेब पोर्टल, आई0टी0 अनुभाग, पीसीडीएफ मुख्यालय।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रबन्ध निदेशक